

03/5/18 पत्रावली राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर आलोक
 में पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन
 किया। मुताबिक जभावेदी के अवलोकन से पाया कि आराजी
 मुताबिक कस्योडियन भूमि से सम्बन्धित है तथा धार्मी
 के अधार्मीग से क्षति क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। अतः
 धार्मी का धार्मी पत्र क्षति क्षति द्वारा 212 RT act द्वारा किया
 जाता है पत्रावली के सख्त मुताबिक है, नम्बर से कने होकर दायित्व

भाषा देवे पत्र हो
 3/5/18

शिविर प्रभारी
 सहायक कलेक्टर, कोटपुतली